राजकीय विद्यालयों का शुल्क विवरण–सत्र–2026.27

क्र. सं.	शुल्क का प्रकार	कक्षा 9 से 10		कक्षा 11 से 12	
		SC/ST/OBC **BOY/GIRL**	GEN. **BOY/GIRL**	SC/ST/OBC **BOY/GIRL**	GEN. **BOY/GIRL**
1	**राजकीय शुल्क**				
A	प्रवेश/पुनःप्रवेश	10	10	10	10
B	टी.सी.	05	05	05	05
2	**छात्रकोष शुल्क**	RSF			
A	छात्रकोष	100	200	150	300
B	एसयूपीडब्लू	50	50	——	——
C	स्काउट	05	05	05	05
3	**विकास शुल्क**	SMC/SDMC मे लिये गये प्रस्ताव/निर्णयानुसार			

नोटः–

(1)–कक्षा 11 एवं 12 मे विज्ञान/टंकण शुल्क 100/–रूपये केवल विज्ञान/टंकण विषय लेने वाले विद्यार्थियों से ही लिया जाना है। अन्य विद्यार्थियों से नहीं लिया जाना है।

(2)–शिक्षण शुल्क 30000/–रूपये तक आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों से कक्षा 9 एवं 10 के लिये 360/–रूपये एवं कक्षा 11 एवं 12 के लिये 720/– रूपये लिया जाना है।

(3)–शिक्षण शुल्क 30000/–रूपये से अधिक आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों से कक्षा 9 एवं 10 के लिये 600/–रूपये एवं कक्षा 11 एवं 12 के लिये 1200/–रूपये लिया जाना है।

(यह आयकर दर पुरानी है, यदि सक्षम स्तर से इसमे संशोधन किया गया हो तो तदनुसार शिक्षण शुल्क लिया जाना है)

(4)–निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक–शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./सेल–डी/विद्यार्थीदुर्घटना बीमा/2020–23/5.8.22 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना मे बीमित सभी परिवारों पर लागू होने के फलस्वरूप उक्त परिवारों के सभी विद्यार्थियों को भी दुर्घटना बीमा योजना का कवर उपलब्ध हो चूका है इसलिए कक्षा 1 से 12 तक मे अध्ययनरत विद्यार्थियों का दिनांक 15.8.2022 से बीमा नवीनीकरण नहीं किया जाना है। अतः नवीन निर्देशों के अनुसार उक्त विद्यार्थियों से दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि प्रति छात्रा 05 रू.एवं प्रति छात्र 10 रू. नहीं लिया जाना हैं

(5)–उप–शासन सचिव–प्रथम शिक्षा (1)विभाग राजस्थान,जयपुर के पत्र कमांक–प.6 (1) शिक्षा–1 2002/जयपुर दिनांक 13.5.2010 के अनुसार कक्षा 01 से 08 तक के छात्र/छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। जिसमे छात्रकोष एवं विकास कोष भी सम्मिलित है। (छात्रकोष शुल्क एवं विकास शुल्क भी नहीं लिया जाना है।)

विशेष नोटः––यद्यपि उक्त सरणी तैयार करने हेतु पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी प्रकार कि त्रुटि होने पर राज्य सरकार/विभागीय आदेश ही सर्वमान्य होगे । यह सारणी सभी कि सुविधा हेतु तैयार की गई है।

RSF